

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पोस्टासीन अधिकारी -डॉ० साधना शर्मा, आरए०ए०एस०

प्रकरण संख्या-59/2019

जीसीएमएस पोर्टल नम्बर:- 2019/00107

उनवान:-

भवसिया पुत्र श्री नेकराम उम्र 43 साल जाति कुशवाह निवासी ग्राम खेरली तहसील व जिला धौलपुर
.....वादी

बनाम

1. शिवदेई पत्नी स्व० हेमराज
2. शिवनारायन पुत्र स्व० हेमराज
3. विपतीराम पुत्र स्व० हेमराज
4. होतम पुत्र स्व० श्री हेमराज
जातिगण कुशवाह निवासीगण ग्राम खेरली, तहसील मनियां जिला धौलपुर।
5. सोवरन पुत्र हीरालाल
6. पीतम पुत्र श्री हीरालाल
7. धीरसिंह पुत्र श्री हीरालाल
8. रामसखी पत्नी श्री रामप्रसाद
9. पोहप सिंह पुत्र रामप्रसाद
10. लोकेन्द्र सिंह नावालिग पुत्र रामप्रसाद सरपरस्ती माता रामसखी
11. खेतसिंह नावालिग पुत्र रामप्रसाद सरपरस्ती माता रामसखी
12. थान सिंह नावालिग पुत्र रामप्रसाद सरपरस्ती माता रामसखी समस्त जातिगण गुर्जर
निवासीगण ग्राम सांडा, तहसील व जिला धौलपुर।
13. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मनियां तामील जरिये शाखा प्रबंधक
14. पंजाब नेशनल बैंक शाखा खेरली तामील जरिये शाखा प्रबंधक
15. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार वहैसियत लैण्ड होल्डर

.....तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक. 15.7.25

निर्णय

वादी ने विरुद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 12.07.2019 को एक राजस्व वाद बाबत बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 20.08.2024 को प्रारंभिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार मनियां के पत्रांक 01.07.2025 विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है। तहसीलदार मनियां के द्वारा प्राप्त हुए विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।



उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज०)

हमने वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया तथा तहसीलदार मनियां से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नंबर 884, 885, 886, 887, 890, 891, 876 स्थिति बांके ग्राम खेरली पटवार हल्का खेडली तहसील व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकवा (है०)
1	मवासिया पुत्र नेकराम हि० पूर्ण जाति काछी (कुशवाह) सा० देह खातेदार	876/1	0.0746
		884/1	0.0935
		885/1	0.0304
		886/1	0.0063
		887/1	0.0898
		890/1	0.0329
		891/1	0.0240
2	नाबा० खेत सिंह पुत्र रामप्रसाद हि. 11/502, नाबा० थानसिंह पुत्र रामप्रसाद हि० 11/502, नाबा० लोकेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रसाद हि० 11/502, संरक्षक सरपरस्त पिता रामप्रसाद, रामसखी पत्नी रामप्रसाद हि० 11/502, धीरसिंह पुत्र हीरालाल हि० 28/251, पीतमसिंह पुत्र हीरालाल हि० 28/251, सोवरन पुत्र हीरालाल हि० 28/251, पोहप सिंह पुत्र रामप्रसाद हि० 11/502 जाति गूजर, सा० साडा तह० धौलपुर, शिवदेई पत्नी हेमराज हि० 14/251, विपतीराम पुत्र हेमराज हि० 52/251, शिवनारायण पुत्र हेमराज हि० 42/251, होतम पुत्र हेमराज हि० 63/502 जाति काछी (कुशवाह) सा० देह खातेदार	876/2	0.6715
		884/2	0.8422
		885/2	0.2731
		886/2	0.0569
		887/2	0.8080
		890/2	0.2959
		891/2	0.2163

रहन के इन्द्राज बदस्तुर कायम रहेंगे। आराजीयात के लगान के 20 गुणा पर देय मुद्रांक शुल्क के स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.7.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ० साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर